न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 420/2024
अनवान : –

1. प्रहलाद पुत्र हरदयाल जाति स्वामी निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**
श्री पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 30/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 40/41 के ख0न0 120/1 की कुल 4.4760 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 40/41 के ख0न0 120/1 की कुल 4.6760 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि राधा पुत्री काशीराम जाति स्वामी निवासी ब्राहमणवासी के नाम दर्ज थी। वादी ने दिनाक 25.04.2024 को जरिये बैयनामा विक्रेता राधा पुत्री काशीराम जाति स्वमी निवासी ब्राहमणवासी के हिस्से की 1/9 हिस्सा यानि की सम्पूर्ण हक हिस्सा की भूमि खरीद है जिसका स्वीकृत नामान्तरण संख्या 801 दिनांक 25.04.2024 के अनुसार 4973/44760 हिस्सा भूमि वादी के नाम व 1/134280 हिस्सा भूमि सहवन से विक्रेता राधा पुत्री काशीराम के नाम नामान्तरण दर्ज हो गया है। वादी ने राधा से उसका सम्पूर्ण हिस्सा भूमि खरीद की थी लेकिन नामान्तरण दर्ज करते समय 1/34280 हिस्सा विक्रेता के नाम शेष रह गई जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राधा पुत्री काशीराम द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी व रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.04.2024 की चित्रप्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:29 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उपस्थित सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया की उक्त भूमि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 40/41 के ख0न0 120/1 की कुल 4.6760 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि राधा पुत्री काशीराम जाति स्वामी निवासी ब्राहमणवासी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम दर्ज थी। वादी ने दिनाक 25.04.2024 को जरिये बैयनामा विक्रेता राधा पुत्री काशीराम जाति स्वमी निवासी ब्राहमणवासी के हिस्से की 1/9 हिस्सा यानि की सम्पूर्ण हक हिस्सा की भूमि खरीद है जिसका स्वीकृत नामान्तरण संख्या 801 दिनांक 25.04.2024 के अनुसार 4973/44760 हिस्सा भूमि वादी के नाम व 1/134280 हिस्सा भूमि सहवन से विक्रेता राधा पुत्री काशीराम के नाम नामान्तरण दर्ज हो गया है। वादी ने राधा से उसका सम्पूर्ण हिस्सा भूमि खरीद की थी लेकिन नामान्तरण दर्ज करते समय 1/34280 हिस्सा विक्रेता के नाम शेष रह गई जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। राधा पुत्री काशीराम जाति स्वामी द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 40/41 की कुल 4.4760 हैक्ट भूमि में से 4973/44760 हिस्सा भूमि वादी के नाम व 1/134280 हिस्सा भूमि राधा पुत्री काशीराम के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा के मुताबिक वादी द्वारा राधा पुत्री काशीराम से राधा के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा यानि की 0.4973 हैक्ट भूमि खरीद की है जबकि पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी की खरीद की गई सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम दर्ज नही हुई है। अतः राधा पुत्री काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज किया जाना उचित है। राधा पुत्री काशीराम द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है। अत वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राधा पुत्री काशीराम की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 40/41 के ख0न0 120/1 की कुल 4.4760 हैक्ट भूमि में से 1/134280 हिस्सा भूमि में राधा पुत्री काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी के दर्ज 4973/760 हिस्सा भूमि में शामिल किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 420/2024
अनवान : –

1. प्रहलाद पुत्र हरदयाल जाति स्वामी निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर।

–**वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0
अधि0 1955 प्र0स0 420 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक – 30/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राधा पुत्री काशीराम की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40/41 के ख0न0 120/1 की कुल 4.4760 हैक्ट भूमि में से 1/134280 हिस्सा भूमि में राधा पुत्री काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी के दर्ज 4973/760 हिस्सा भूमि में शामिल किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:29 IST
Reason: SelfAttested